

मा. ज. प्र.  
गुण.

23/11/22

(बान्वाड़ा)

पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थ जी हितेश चौकीदा  
ने पार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पार्थ  
इस प्रकार को आगे नहीं चलाता चाहते हैं एवं  
इस प्रकार में कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहते हैं  
तथा प्रकरण विचारा करना चाहते हैं।



अतः पार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सलफेसी  
एक्ट 2002 के तहत प्रस्तुत इस प्रकार को विचारा  
की अनुमति दी जाती है। पत्रावली में अब कोई  
कार्यवाही शेष रही होने से पत्रावली के एक शुभारंभ  
होकर दाखल की।



कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
बान्वाड़ा (राज.)